विधानसभा में उपयोगार्थ

राजस्थान सरकार

खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान
उदयपुर

वार्षिक प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2020–21

(दिसम्बर, 2020 तक)

उदयपुर

जनवरी, 2021

खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान

प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक)

भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिमान् रखने के लिये खनिजों का बड़ा योगदान है । खनिजों की उपलब्धता के लिहाज से राजस्थान का देश के खनिज मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान हैं । राज्य में विभिन्न प्रकार के 81 खनिज पाये जाते है उनमें से वर्तमान में 57 खनिजों का उत्पादन हो रहा है । इन खनिजों में लेड–जिंक, वोलेस्टोनाईट, केल्साइट, सेलेनाईट व जेस्पार का शत प्रतिशत, सिल्वर, जिप्सम, रॉक फास्फेट एवं रेड–ऑकर का 90 प्रतिशत से अधिक उत्पादन राज्य में होता है। राज्य में 22 सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित है जिससे सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में भी राज्य देश में अग्रणी है। संगमरमर एवं ग्रेनाईट की सर्वाधिक किस्में राजस्थान में ही उपलब्ध हैं तथा कोटा स्टोन एवं सेण्डस्टोन की भी अच्छी पहचान है । इन पत्थरों की देश में तथा विदेशों में काफी मांग है । इसी कड़ी में अब तेल एवं प्राकृतिक गैस भी जुड़ गये हैं, जिनकी उपलब्धता बाड़मेर जिले के मंगला, विजया, बायतु आदि क्षेत्रों में सिद्ध की गई हैं, जिससे राज्य ऑयल उत्पादित करने वाले प्रदेशों में शामिल हो गया हैं । इसके अतिरिक्त प्रदेश में पोटाश के भी भण्डार खोजे गये है। जिनके उत्पादन में प्रदेश प्रयासरत है। राज्य में खनिज दोहन हेतु वर्ष 2019–20 को प्रधान खनिजों के 179 खनन पट्टे एवं अप्रधान खनिजों के 14691 खनन पट्टे प्रभावशील थे ।

प्रशासनिक व्यवस्था :

राज्य में खनिजों की खोज व उनके व्यवस्थित दोहन हेतु खान एवं भू विज्ञान विभाग की स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी । विभाग में खनिज खोज, खनिज प्रशासन व खनिज दोहन कार्यो को सुव्यवस्थित रूप से अंजाम देने हेतु दो प्रमुख इकाईयां – भूविज्ञान इकाई एवं खनन इकाई कार्यरत हैं । प्रदेश में खनिजों की खोज व उनके भण्डारों का आंकलन भूविज्ञान इकाई द्वारा किया जाता है तथा खनिजों के दोहन हेतु खनन पट्टों का आवंटन, खनिज राजस्व वसूली आदि का कार्य विभाग की खनन इकाई द्वारा किया जाता है । विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नानुसार है :

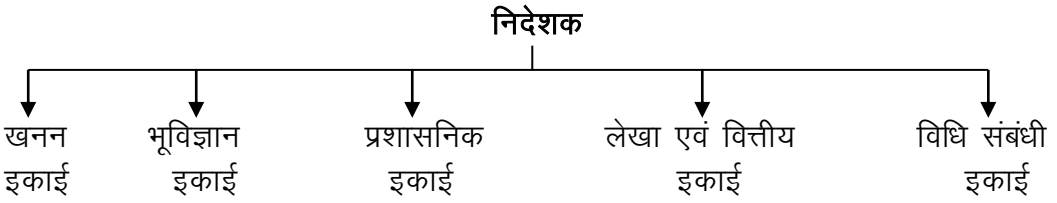

अ. खनन इकाई : प्रदेश में खनिज प्रशासन, राजस्व संकलन, पर्यावरण, अवैध खनन एवं अनाधिकृत खनिज परिवहन की रोकथाम आदि कार्यो हेतु निदेशालय स्तर पर अतिरिक्त निदेशक (खान) मुख्यालय, अतिरिक्त निदेशक खान (पर्यावरण एवं विकास) एवं अतिरिक्त निदेशक खान (सतर्कता) उदयपुर के पद है। चार अतिरिक्त निदेशक (खान) – जयपुर, कोटा, जोधपुर व उदयपुर जोनल कार्यालयों के पद हैं। निदेशालय में चार अधीक्षण खनि अभियन्ता (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्तकता) जो क्रमशः विधानसभा एवं प्लान, प्रधान, अप्रधान खनिज एवं सतर्कता अनुभागों का कार्य देखते है एवं एक अधीक्षण खनि अभियन्ता, तकनीकी सहायक (निदेशक) के पद हैं। नौ अधीक्षण खनि अभियन्ता वृत कार्यालयों में पदस्थापित है जो 33 खनि अभियन्ता एवं 16 सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों का पर्यवेक्षण कर पूरे प्रदेश के खनिज प्रशासन के कार्यो को अंजाम देते हैं ।

निदेशालय स्तर पर अतिरिक्त निदेशक, खान (मुख्यालय) रियायतों का निस्तारण, खनिज नियमों की पालना सुनिश्चित करने, खनिज नीतियां तैयार करनें आदि का कार्य देखते हैं । अतिरिक्त निदेशक (पर्यावरण एवं विकास) को अपीलों की सुनवाई का अधिकार, वन अनारक्षण, पर्यावरण संबंधी कार्य, योजना एवं विकास, संसद, विधान सभा आदि के कार्य आवंटित हैं । राज्य में अवैध खनन की रोकथाम

हेतु सतर्कता ईकाई के उपखण्ड, खण्ड व वृत के क्रमशः 19, 12 एवं 7 कार्यालय अवस्थित है जिसका नियंत्रण अतिरिक्त निदेशक खान(सतर्कता) द्वारा किया जाता है।

हाईकोर्ट में खनन संबंधी मामलों को देखने हेतु एक–एक खनि अभियन्ता (रिट) जयपुर एवं जोधपुर में पदस्थापित हैं ।

ब. भूविज्ञान इकाई : प्रदेश में खनिज भण्डारों की खोज एवं उनका आंकलन करने हेतु भू–विज्ञान शाखा कार्यरत है इस कार्य हेतु पांच अतिरिक्त निदेशक, भूविज्ञान – क्रमशः जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा व बीकानेर जोनल कार्यालयों में पदस्थापित हैं। पांच अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान के अधीन नौ अधीक्षण भूवैज्ञानिक तथा उन नौ अधीक्षण भूवैज्ञानिक के अधीन आठ वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालय स्थापित हैं । सभी अधीक्षण भूवैज्ञानिक, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक एवं इन कार्यालयों में पदस्थापित भूवैज्ञानिक पूरे प्रदेश में खनिज खोज का कार्य करते हैं। अधीक्षण भूवैज्ञानिक (एरियल सर्वे) का एक पद सचिवालय, जयपुर मे पदस्थापित है जो कि शासन एवं विभाग में समन्वय स्थापित करने में सहायक है। निदेशालय में भूविज्ञान संबंधी कार्य अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान–मु0) द्वारा संपादित किया जा रहा है । निदेशालय में दो अधीक्षण भूवैज्ञानिक, मुख्यालय एवं रिमोट सेंसिंग पदस्थापित है, जिनके अधीन 5 वरिष्ठ भूवैज्ञानिक के पद स्वीकृत है जों कि भूविज्ञान, खनिज मूल्यांकन प्रकोष्ठ, पेट्रोलोजी, रिमोट सेसिंग एवं प्रकाशन अनुभाग का कार्य देखते है। खनिजों की खोज में भूवैज्ञानिकों को सहयोग करने हेतु निदेशालय स्तर पर अधीक्षण भूभौतिकवेत्ता के निर्देशन में भूभौतिक अनुभाग, रिमोट सेंसिंग प्रकोष्ठ, सिरेमिक एवं रसायनिक प्रयोगशाला तथा पेट्रोलोजिकल प्रयोगशाला कार्यरत है । इन प्रयोगशालाओं में नवीनतम तकनीकों एवं उपकरणों से भूवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं से एकत्र कर भेजे गये खनिजों/चट्टानों के नमूनों की विस्तृत जांच की जाती है ।

भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिज भण्ड़ारों की खोज हेतु भूगर्भ से नमूने प्राप्त करने के लिए विभाग में पृथक से छिद्रण शाखा भी कार्यरत है। छिद्रण कार्य की प्रभावी एवं व्यवस्थित रूप से क्रियान्विति हेतु प्रदेश को, उदयपुर जोन एवं बीकानेर जोन में बांटा गया है, जिनका कार्य क्रमशः अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक एवं छिद्रण), उदयपुर व बीकानेर द्वारा देखा जाता है। छिद्रण कार्य में अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक एवं छिद्रण) को सहयोग करने हेतु एक–एक उप छिद्रण अभियन्ता, उदयपुर एवं बीकानेर में पदस्थापित है। उप छिद्रण अभियन्ता सहायक छिद्रण अभियन्ताओ के सहयोग से छिद्रण कार्य को गति देते है । ये सहायक छिद्रण अभियन्ता भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर एवं जोधपुर में पदस्थापित है । विभाग के वाहनों एवं छिद्रण मशीनों की रख–रखाव करने हेतु एक कर्मशाला भी उदयपुर में स्थापित है, जिसका कार्य यांत्रिक अभियन्ता देखते हैं।

स. प्रशासनिक, लेखा एवं विधि कार्य : विभाग का प्रशासनिक कार्य अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा, लेखा एवं वित्तीय संबंधी कार्य वित्तीय सलाहकार, लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा, विधि संबंधी कार्य उप विधि परामर्शी द्वारा निदेशालय में सम्पादित किया जाता हैं।

कार्य लक्ष्य एवं उपलब्धियां :

विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) में अर्जित की गई उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

अ. खनन इकाई

खनिज राजस्व – गत वर्ष (2019–20) विभाग के राजस्व का लक्ष्य रू. 6600 करोड़ रखा गया था, जिसके विरूद्ध रु. 4576.85 करोड़ का राजस्व अर्जन किया गया था । चालू वित्तीय वर्ष में रू. 7000 करोड़ का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध 31 दिसम्बर, 2020 तक रू. 3125.70 करोड़ का राजस्व अर्जित किया जा चुका है तथा पूर्ण प्रयास किये जा रहे है कि इस वर्ष राजस्व लक्ष्य अर्जित किया जा सके।

विगत वर्षो में विभाग द्वारा अर्जित राजस्व का विवरण निम्नानुसार हैः

(राशि करोड रूपये में)

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आय
2016–17	4200.00	4233.74
2017–18	4900.00	4521.52
2018–19	6000.00	5301.48
2019–20	6600.00	4576.85
2020–21(31.12.2020 तक)	7000.00	3125.70

अवैध खनन एवं अनाधिकृत खनिज परिवहन की रोकथामः

अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम हेतु खनिज विभाग द्वारा पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, यातायात एवं वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर समय–समय पर जॉच की गई है।

अवैध खनन एवं निर्गमन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु बोर्डर होमगार्ड के 333 जवान लगाये गये है ।

अवैध खनन एवं निर्गमन पर सख्त कार्यवाही करने हेतु नियमों में संशोधन किया गया है तथा जो वाहन अवैध खनन एवं निर्गमन में लिप्त पाये जाते है उन पर रॉयल्टी राशि का दस गुना शास्ती के रूप में वसूल किया जाता है। इसके अतिरिक्त वाहन की श्रेणी के अनुसार अतिरिक्त शास्ती की वसूली की जाती है जो 25 हजार से 1.00 लाख तक है ।

अवैध खनन राजकीय भूमि, वन भूमि, खातेदारी भूमि, चारागाह भूमि अथवा नगर निगम, जेडीए, यू आई टी, रिको इत्यादि को आंवटन भूमियों में होता है। अतः राज्य सरकार द्वारा भूमि के स्वामित्व के आधार पर संबंधित विभाग को अवैध खनन के नियंत्रण हेतु जिम्मेदारी सौपी गई है। उदाहरण के तौर पर वन भूमि में वन विभाग, खातेदारी व चारागाह भूमि में राजस्व विभाग तथा राजकीय भूमि में खनिज विभाग को कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदारी सौपी गई है।

अवैध खनन की नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने खान एवं खनिज विकास विनियम, 1957 में प्रावधान किये है तथा अप्रधान खनिजों के मामलों में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 में प्रावधान किये गये है । अवैध खननकर्ताओं पर अंकुश लगे इसके लिए मुकदमों में सजा की अवधि 2 वर्ष से बढाकर 5 वर्ष कर दी गई है।

अवैध खनन की रोकथाम हेतु नियमों के अन्तर्गत खनिज विभाग के अधिकारीयों/ कर्मचारियों के अलावा संबंधित जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को भी अधिकार दिये गये है ।

जहॉ अवैध खनन कार्य पाया गया वहॉ पर प्राथमिकता से प्लॉट बनाकर निलामी के माध्यम से खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेगे जिससे अवैध खनन पर नियंत्रण लगेगा ।

Mining Surveillance System (MSS) द्वारा खनन पट्टे एवं अवैध खनन की जांच की जा रही है जिससे कार्यालय में बैठकर ही यह देखा जा सकता है कि लीज क्षेत्र से बाहर कहॉ–कहॉ अवैध खनन हो रहा है। उक्त विधि में सीधे ही अवैध खनन की मौके पर जांच हेतु कार्यवाही की जा रही है।

अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 (31 दिसम्बर, 2020 तक) की कार्यवाही का विवरण

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18	वर्ष 2018–19	वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21 (31 दिसम्बर 2020 तक)
1.	अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक के दर्ज प्रकरणों की संख्या	4761	7554	16856	13229	7458
2.	दर्ज कराई गई एफ.आई. आर. की संख्या	672	253	1854	930	526
3.	जब्त वाहन/मशीन/औजारों की संख्या	4386	7283	17379	13355	7400
4.	अवैध खनन/निर्गमन से वसूल शास्ति राशि रूपये (करोड़ में)	21.89	43.13	105.02	85.42	57.34

खनिज रियायतें :

प्रधान एवं अप्रधान खनिजों के खनन हेतु विभिन्न कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में (वर्ष 2020–21*) को प्रभावशील खनिज रियायतों की स्थिति निम्नानुसार है –

अ. प्रधान खनिज – 177 खनन पट्टे

ब. अप्रधान खनिज – 14821 खनन पट्टे

* दिसम्बर 2020 तक

विगत वर्षों में धारित खनन पट्टों एवं क्वारी लाईसेंस का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	खनन पट्टें (प्रधान+अप्रधान)	क्वारी लाईसेंस	योग
2015–16	15485	18103	**33588**
2016–17	14932	18102	**33034**
2017–18	15434	17678	**33122**
2018–19	15111	17668	**32788**
2019–20	14870	17534	**32404**
2019–20 (दिसम्बर, 20 तक)	14998	17531	**32529**

रॉयल्टी वसूली ठेके :– राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप में राजस्व की हानि नहीं हो, इस हेतु विभाग द्वारा राज्य में रॉयल्टी वसूली के ठेके दिये जाते हैं, जिससे रॉयल्टी चोरी में कमी होकर खनिज राजस्व में बढ़ोतरी हुई है । राज्य में 31.12.2020 को रॉयल्टी वसूली के 106 ठेके प्रभावशील थे एवं 61 ठेको की ई–नीलामी प्रक्रियाधीन है ।

NMET :– NMET नियम, 2015 लागू होने के बाद अब तक (माह दिसम्बर 2020 तक) कुल राशि रू. 256.48 करोड की प्राप्त हुई । एन.एम.ई.टी के माध्यम से राजस्थान राज्य में खनिज खोज हेतु 15 परियोजनाएँ स्वीकृत की गयी है। जिसमें आगामी वर्षो में खनिज प्रमाणित होने पर ऑक्शन हेतु ब्लॉक्स उपलब्ध हो सकेंगे एवं राज्य में खनिज राजस्व में अत्यधिक बढ़ोतरी होगी। जिसमें बेसमेटल–कॉपर–गोल्ड–सिल्वर के 9 प्रोजेक्ट, आयरन ओर का 1 प्रोजेक्ट, मैंगनीज के 2 प्रोजेक्ट एवं लाईमस्टोन का 1 प्रोजेक्ट सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त दो परियोजनाऐ खनिज बेसमेटल से सम्बन्धित ऑपरेशन अनकवर एवं ऐरियल सर्वे से सम्बन्धित है।

RSMET :–इस वर्ष राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का गठन किया जाकर उसका राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन किया गया । इसमें अप्रधान खनिज पटटों से रॉयल्टी का 2 प्रतिशत अधिभार लगाकर एकत्र राशि से राज्य में खनिज अन्वेषण कार्य को गति दी जायेगी । कार्य प्रगति पर है ।

DMFT :– खनन प्रभावित क्षैत्र एवं खनन से प्रभावित लोगों के विकास हेतु खान धारकों को रॉयल्टी के अनुपात में अंशदान जमा करवाने हेतु डी.एम.एफ.टी. रूल्स 2016 बनाये गये थे जिसके तहत अब तक (दिसम्बर, 2020) राशि रूपये 4384.27 करोड़ प्राप्त हुये है जिसमें से राशि रूपये 1076.62 करोड़ व्यय की गयी है। डी.एम.एफ.टी. कोष के तहत स्वीकृत कार्यो का विवरण (परिशिष्ट 3) में दिया गया है।

SMF:–दिनांक 01.07.2020 से **DMFT** नियमों में संशोधन किया जाकर स्टेट मिनरल फाउण्डेशन का प्रावधान किया गया । स्टेट मिनरल फाउण्डेशन में विभिन्न जिलों द्वारा **DMFT** में जमा राशि का एक निश्चित सूत्रानुसार राशि हस्तान्तरित की जानी है, जिसके क्रम में इस वर्ष राशि रूपये 900 करोड तथा आगामी वर्षो में रूपये 300 करोड जमा होना अनुमानित है ।

M-SAND POLICY-2020 :- राज्य सरकार द्वारा बजरी के दीर्घकालीन विकल्प के रूप में एम–सेण्ड को बढावा देने के लिए ''राजस्थान एम–सेण्ड नीति–2020'' का मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक 07.12.2020 को अनुमोदन किया गया। एम–सेण्ड नीति का उद्देश्य प्रदेश के आमजन को बजरी का सस्ता एवं सुगम विकल्प उपलब्ध कराना, खनन क्षेत्रों में एकत्रित ऑवरबर्डन डम्प्स का उपयोग कर खनन क्षेत्रों के पर्यावरण को संरक्षित करना, नदियों के पारिस्थितिकीय तंत्र में सुधार तथा प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ–साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

जिप्सम परमिट

राज्य सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये 28 अक्टूबर, 2016 को खनिज जिप्सम के खनन हेतु MMCR में संशोधन किया है जिसके अंतर्गत निजी खातेदारी भूमि में खातेदारों को भूमि सुधार हेतु सतह से दो मीटर गहराई तक एक STP के जरिये जिप्सम हटाने की अनुमति देने के प्रावधान किये गये है जिसका अधिकतम क्षेत्रफल 5 हैक्टेयर निर्धारित किया गया है। RMMCR, 2017 में भी खनिज जिप्सम के परमिट देने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु कुल 1765 आवेदन पत्र प्राप्त हुये है, जिनमें से जिला स्तरीय कमेटी द्वारा 1320 में अनुशंषा की गई जिसके अनुसार 479 जिप्सम परमिट जारी किये जा चुके हैं 140 में मंशा पत्र जारी किये गये एवं आवंटन की प्रकिया जारी है, जिसका कार्यालयवार विवरण तालिका संख्या–2 (परिशिष्ट 2) में दर्शाया गया है।

ब. भू विज्ञान इकाई

भूविज्ञान शाखा द्वारा राज्य में खनिजों की खोज एवं खनिज भण्ड़ारों के आंकलन का कार्य किया जाता है। जो निम्नानुसार हैः–

- वर्ष 2020–21 में खनिज सर्वेक्षण की 42 परियोजनाये खनिज लाईमस्टोन, बेसमेटल, औधोगिक खनिज एवं आयामी पत्थर आदि के लिये राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित की जा रही है। उक्त कार्य की माह दिसम्बर, 20 तक प्रगति निम्नानुसार हैः–

<u>भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियां</u>:–

क्र.स.	कार्य		इकाई लक्ष्य	कार्य लक्ष्य वर्ष 2020–21	दिसम्बर, 20 तक की उपलब्धियां
1	क्षेत्रीय मानचित्रीकरण		वर्ग कि.मी.	399.00	260.62
2	विस्तृत मानचित्रीकरण		वर्ग कि.मी.	95.00	57.70
3	भूभौतिकीय सर्वेक्षण		लाईन कि.मी.	60.00	40.00
4	छिद्रण	(विभागीय़)	मीटर	3900	1564.00
		(आउटसोर्सिंग)	मीटर	3900	-

<u>खनिज खोज की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार है (वर्ष 2019–20)</u>:–

- नि.ग्रा. डूंगरखेडा, तह. भीम, जिला राजसमन्द में 0.75 वर्ग कि.मी क्षैत्र मे खनिज पेग्मेटाइट, ग्रेनाईट, मेसेनरीस्टोऩ, के निलामी हेतु प्लॉट बनाने का कार्य प्रगती पर है।
- नि.ग्रा. धाकड़खेड़ी, तह. माण्ड़लगढ, जिला भीलवाड़ा में 0.25 वर्ग कि.मी. क्षैत्र मे 320 मीटर लम्बाई एवं 330 मीटर चौड़ाई का लाईमस्टोन पाया गया है।
- नि.ग्रा. सिन्दवाड़ी–रामाखेड़ा–सतखण्ड़ा ब्लॉक–A, तह. व जिला चित्तौड़गढ में कुल 12 बोरहोल्स में कुल 526 मीटर छिद्रण कार्य किया गया तथा 30 से 50 मीटर मौटाई का लाईमस्टोन शैल–पार्टिंग्स के साथ पाया गया है।
- नि.ग्रा. वीरवाड़ा–उन्दरा, तह. पिण्ड़वाड़ा, जिला सिरोही में 60 से 350 मीटर लम्बाई एवं 20 से 200 मीटर चौड़ाई के ग्रेनाईट के आऊटक्रोप चिन्हित किये गये है।
- नि.ग्रा. नया सावरा, तह. पिण्ड़वाड़ा, जिला सिरोही में 0.25 वर्ग कि.मी. क्षैत्र ग्रेनाईट एवं मेसेनरीस्टोन का चिन्हित किया गया है।
- नि.ग्रा. सिनला, तह. बिलाड़ा, जिला जोधपुर में 3 वर्ग कि.मी.क्षैत्र मे 550 से 1000 मीटर लम्बाई एवं 150 से 650 मीटर चौड़ाई का लाईमस्टोन पाया गया है।
- नि.ग्रा. कोट–कास्ता, तह. भीनमाल, जिला जालौर में 2 वर्ग कि.मी. क्षैत्र मे, सजावटी पत्थर के रूप में उपयोग योग्य 650 मीटर लम्बाई एवं 450 से 480 मीटर चौड़ाई का ग्रेनाईट ग्रे से क्रीम एवं पीले रंग का पाया गया है।
- नि.ग्रा. सम, तह. व जिला जैसलमेर में 523 मीटर छिद्रण कार्य कर 15 मिलियन टन बोलड़री लाईमस्टोन एवं 22 मिलियन टन चॉकी लाईमस्टोन के रिर्सोसेज़ का आंकलन किया गया है।
- नि.ग्रा. चित्तौड़ा, टिढ्ढा, तह. व जिला जैसलमेर में 0.50 वर्ग कि.मी क्षैत्र में लाईमस्टोन चिन्हित किया गया है।

- नि.ग्रा.माड़ला, तह. सोजत, जिला पाली में 3 वर्ग कि.मी क्षैत्र में 250 मीटर लम्बाई एवं 80–100 मीटर चौड़ाई का हल्का ग्रे रंग का लाइमस्टोन/ड़ोलोमीटीक लाइमस्टोन चिन्हित किया गया है।
- नि.ग्रा. हरिपुरा, तह. खीवंसर, जिला नागौर में 63 बोरहोल्स में कुल 483 मीटर छिद्रण कार्य कर छिद्रित बोर होल्स में ग्रे–लाईमस्टोन एवं ड़ेलोमेटिक लाईमस्टोन पाया गया है।
- नि.ग्रा. निमाना–दुनिया, तह. रामगंजमण्ड़ी, जिला कोटा में 13 बोरहोल्स में कुल 362 मीटर छिद्रण कार्य कर 98.4312 मिलियन टन मार्जिनल सीमेन्टग्रेड़ लाईमस्टोन एवं 93.0744 मिलियन टन कोटास्टोन के भूवैज्ञानिक संसाधनों का अनुमान लगाया गया है।
- नि.ग्रा. बुचारा, तह. नीम का थाना, जिला सीकर में 1.50 वर्ग कि.मी क्षैत्र में 250 से 300 मीटर लम्बाई एवं 80–100 मीटर चौड़ाई का छोटे ओर मध्यम आकार के ब्लॉक्स बनाने के लिये उपयुक्त ब्लॉकेबल पेग्मेटाईट चिन्हित किया गया है।
- नि.ग्रा. व तह. छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा में 0.20 वर्ग कि.मी. क्षैत्र में मेसेनरीस्टोन के 10 प्लॉट चिन्हित किये गये है।
- नि.ग्रा. ड़ारूड़ा, तह. व जिला बाड़मेर में 0.25 वर्ग कि.मी. क्षैत्र में रायोलाईट चिन्हित किया गया है जो मेसेनरीस्टोन के लिये उपयुक्त है।
- नि.ग्रा. इन्द्राणा, तह. सीवाणा, जिला बाड़मेर में एक प्लॉट ग्रेनाईट के लिये चिन्हित किया गया है।
- नि.ग्रा. परथीपुरा एवं नयातालाब तह. गढी, जिला बांसवाडा मे एक बोरहोल मे कुल 43.5 मीटर छिद्रण कार्य किया गया तथा हल्के सफेद से ग्रे रंग का मध्यम से मोटे कण का लाईमस्टोन पाया गया है।

<u>खनिज खोज की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार है (वर्ष 2020–21 दिसम्बर 2020 तक)</u>:–

- नि.ग्रा. कानाखेडा, तह. ब्यावर, जिला अजमेर मे कुल 166 मीटर छिद्रण कार्य किया गया। छिद्रित बोरहोल्स मे इंटरकेलेटेड लाईमस्टोन पाया गया।
- नि.ग्रा. अमरपुरा, जीवाना तह. ब्यावर, जिला अजमेर मे हल्के से गहरे धूसर रंग, का मध्यम से बारिक कण का ब्लॉकेबल ग्रेनाइट नि.ग्रा. जीवाना मे एवं गुलाबी रंग का बारिक से मध्यम कण का ब्लॉकेबल ग्रेनाइट नि.ग्रा. अमरपुरा मे चिन्हित किया गया।
- नि.ग्रा. खांखरा एवं गणेशपुरा, तह. किशनगंज, जिला बांरा मे 0.25 वर्ग किमी. क्षेत्रफल मे हल्के भूरे से क्रीम रंग का बारिक से मध्यम कण का ब्लॉकेबल सेण्डस्टोन पाया गया।
- नि.ग्रा. निमाना–दुनिया, तह. रामगंजमण्ड़ी, जिला कोटा में कुल 217 मीटर छिद्रण कार्य कर 126.74 मिलियन टन मार्जिनल सीमेन्टग्रेड़ लाईमस्टोन के भूवैज्ञानिक संसाधनों का अनुमान लगाया गया।
- नि.ग्रा. मोहब्बत नगर, तह. एवं जिला सिरोही 0.30 वर्ग किमी क्षेत्रफल मे लगभग 425 मीटर लंबाई एवं 100–200 मीटर चौडाई के सिस्ट, फिलाइट, बेसाल्ट एवं क्वार्टजाइट चिन्हित किये गये। जिनका उपयोग मेसेनरी स्टोन के रूप मे लिया जा सकता है।
- नि.ग्रा. हरियाव, तह. वल्लभनगर, जिला उदयपुर मे कुल 180 मीटर छिद्रण किया गया। छिद्रित बोरहोल्स (BH-7) मे एम्फीबोलाइट एवं नाइसीस 25 से 40 मीटर तक की गहराई मे पाया गया।
- नि.ग्रा. डाडावाला की गोल, तह. सम, जिला जैसलमेर मे कुल 243 मीटर छिद्रण कार्य किया गया। बोरहोल sm-415 मे चॉकी लाइमस्टोन पाया गया है।
- नि.ग्रा. रानीवाडा, तह. रानीवाडा, जिला जालौर मे 4 वर्ग किमी. क्षेत्रफल मे रायोलाइट के आउटक्रोप (लम्बाई X चौडाई 1100 X 200–350 मीटर) चिन्हित किये गये।
- नि.ग्रा. ताडास एवं खोरवा, तह. खीवंसर, जिला नागौर में कुल 337 मीटर छिद्रण कार्य किया गया। छिद्रित बोरहोल्स (TSB-68 & 69) में लाईमस्टोन पाया गया।

- नि.ग्रा. आवड एवं खेराव, तह. जायल, जिला नागौर में कुल 324.50 मीटर छिद्रण कार्य किया गया। छिद्रित बोरहोल्स (ABH37 & 38) में लाइमस्टोन पाया गया।
- नि.ग्रा. जाटवाली तह. सपोटरा, जिला करौली मे 1.40 वर्ग किमी. क्षेत्र मे भंगुर प्रकृति के 0.50 मीटर से 1.50 मीटर के मेसनरी स्टोन साथ ही सिलिका सेंड के 2–3 बेड चिन्हित किये गये।
- नि.ग्रा. बोरेला, बामनी एवं कातर, तह. आसींद, जिला भीलवाडा मे 0.30 वर्ग किमी. क्षेत्रफल मे ग्रेनाइट के प्लॉट चिन्हित किये गये।
- नि.ग्रा. परथीपुरा एवं नयातालाब तह. गढी, जिला बांसवाडा मे कुल 96.50 मीटर छिद्रण कार्य किया गया जिसमें हल्के सफेद से धूसर रंग का मध्यम से मोटे कण का लाईमस्टोन पाया गया है।
- नि.ग्रा., रूडियाँ, तह. सोजत, जिला पाली मे 300X80-120 मीटर मे लाइमस्टोन चिन्हित किया गया।
- नि.ग्रा. कटरियास, तह. गंगरार, जिला चित्तौडगढ में 6.16 हेक्टेयर क्षेत्र मे चायना क्ले के प्लॉट्स का चिन्हिकरण कर ख.अ. कार्यालय चित्तौड को प्रेषित कर दिये गये है।
- नि.ग्रा. मोलूपुरा, करवरपुरा, एवं बरपुरा तह. बाडी, जिला धोलपुर में चॉकलेटी भूरा एवं पीले रंग के लाइमस्टोन के विभिन्न आउटक्रोप्स का मानचित्रिकरण किया गया। जिनकी लंबाई 15–240 मीटर एवं चौडाई 1–50 मीटर है।

विगत वर्षों में निर्धारित भौतिक लक्ष्य एवं अर्जित उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	कार्य	इकाई	वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19		वर्ष 2019–20		वर्ष 2020–21*	
			कार्य लक्ष्य	उपलब्धियां	कार्य लक्ष्य	उपलब्धियां	कार्य लक्ष्य	कार्य लक्ष्य	कार्य लक्ष्य	उपलब्धियां	कार्य लक्ष्य	उपलब्धियां
1	क्षेत्रीय खनिज सर्वेक्षण	वर्ग कि.मी.	5100	5160	4200	3587	-	–	300	300	–	–
2	क्षेत्रीय मानचित्री–करण	वर्ग कि.मी.	440	459	430	355	498	487.06	336	343.23	399.00	260.62
3	विस्तृत मानचित्री–करण	वर्ग कि.मी.	68.50	73.58	83	70.65	102.50	102.40	82	84.85	95.00	57.70
4	भूभौतिकीय सर्वेक्षण	लाईन कि.मी.	120	139	120	120.44	60.00	63.41	70.00	71.00	60.00	40.00
5	छिद्रण	मीटर	14600	7924.40	13400	2714.50	20100	2521.50	8900	2815.50	7800	1564

* माह दिसम्बर 2020 तक

राज्य में विभाग द्वारा प्रधान खनिजों के ब्लॉक के नीलामी का कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है।

नीलाम किये गये ब्लॉक्स का विवरण निम्न है:–

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	खनिज	क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी.)	नीलामी की तिथी	उच्चतम बोलीदाता
1	नागौर 3 बी1 (बी) डेह	लाईमस्टोन	2.47	22–09–2016	60.09 % मैसर्स ईमामी सीमेंट लिमिटेड
2	सिंदवाड़ी.–रामाखेड़ा –सतखण्डा ब्लॉक बी	लाईमस्टोन	4.74	5–01–2017	48.05 % मैसर्स डालमिया (भारत) सीमेंट लिमिटेड
3	नागौर 3 बी1 (ए) डेह	लाईमस्टोन	2.67	6–01–2017	67.94 % मैसर्स ईमामी सीमेंट लिमिटेड
4	नागौर 3 डी1 निकट ग्राम हरीमा–पिथासर, जिला नागौर	लाईमस्टोन	3.57	17–07–2018 (माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन)	50.05 % जे.एस.जब्ल्यू सीमेन्ट लिमिटेड
5	नागौर 3 बी2 निकट ग्राम सरसनी, जिला नागौर	लाईमस्टोन	4.70	05–02–2018	60.10 % जे.एस.डब्ल्यू सीमेन्ट लिमिटेड
6	पारेवार बी ब्लॉक, जिला जैसलमेर	लाईमस्टोन	5.15	10–12–2020	15.40 % मै0 वन्डर सीमेन्ट लि0

राज्य में विभाग की आगामी नीलामी में खनिज लाईमस्टोन, कॉपर एवं पोटाश के ब्लॉक सम्मिलित किये जायेगे।

भूविज्ञान की सहयोगी इकाईयों/अनुभागों एवं प्रयोगशालाओं की प्रगति

मानचित्र अनुभाग : मानचित्र अनुभाग में भू–गर्भ से संबंधित नक्शों, टोपोशीट आदि का संधारण किया जाता है।

प्रयोगशाला : विभाग की सिरेमिक एवं रसायनिक प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 2020 में विभाग के विभिन्न कार्यालयों के प्राप्त 1599 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

राज्य में अनुदान हेतु उपलब्ध क्षेत्र :

राज्य में आगामी वर्षो में लाईमस्टोन के ब्लॉक जिला जैसलमेर, नागौर, चित्तोडगढ एवं झुंझुनू में नीलाम किये जायेगें । इसके अतिरिक्त कॉपर के ब्लॉक जिला अलवर, चित्तोडगढ एवं सीकर में नीलामी हेतु तैयार किये जा रहे है, इनकी भी नीलामी आगामी वर्षो में की जायेगी ।

अप्रधान खनिजों के अधिशुल्क वसूली ठेके एवं अधिक अधिशुल्क वसूली के ठेकों का आवंटन ई–ऑक्शन द्वारा किया जा रहा है। जनवरी–2020 से दिसम्बर–2020 तक कुल 73 ठेके ई–ऑक्शन से आवंटित किये जा चुके है तथा 61 ठेके प्रक्रियाधीन है । इसके अलावा वर्ष 2019–20 में अप्रधान खनिज के 131 खनन पट्टों का ई–ऑक्शन किया गया है। जिसमें 190.17 करोड़ रूपये फिक्स प्रीमियम के रूप में बोली प्राप्त हुई जो विभाग को प्राप्त होने की सम्भावना है।

विभागीय आयोजना मद :

विभाग द्वारा आयोजना मद में चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह 31 दिसम्बर, 2020 तक निम्नानुसार राशि रू. 1828.54 लाख व्यय की गई हैं :

(लाख रूपयों में)

क. स.	योजना का विवरण	आवंटन 2020–21	व्यय (वर्ष 2020–21) में दिस., 20 तक	विशेष विवरण
I.	सघन पूर्वेक्षण एवं खनिज सर्वेक्षण योजना	2706.66	1828.54	विभागीय विभिन्न मदों में पूर्वेक्षण एवं वेधन पर किया गया व्यय।
2.	विभागीय भवनो का निर्माण	110.99	0.00	बीकानेर, प्रतापगढ व जालोर भवन हेतु
योग		**2817.65**	**1828.54**	

खनन क्षेत्र में सड़क निर्माण योजना : खनिज क्षेत्रों में खनिज परिवहन हेतु वर्ष 2020–21 में विभाग द्वारा खान उपागमन सडकों का निर्माण डी0एम0एफ0टी0 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। डी.एम.एफ.टी. फंड से सड़क निर्माण में राशि रू. 36908.9 लाख व्यय किये गये ।

विभागीय लेखा संबंधित सूचना

वर्ष 2020–21 में राज्य निधि प्रतिबद्ध में दिसम्बर, 2020 तक वास्तविक व्यय 8437.24 लाख रूपये हुआ । विभागीय स्कीम मद में दिसम्बर, 2020 तक रू. 1828.54 लाख व्यय हुआ । जिसका विवरण **तालिका संख्या 1** (परिशिष्ट 1) में दर्शाया गया है ।

विकास एवं जन कल्याण के महत्वपूर्ण कार्यः

खनन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों में खनन जनित सिलिकोसिस बीमारी होने की संभावना सदा रहती हैं । अतः ऐसी बीमारी से ग्रसित श्रमिक एवं मृतक श्रमिकों के आश्रितों को डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत राशि प्रदान की जाती हैं । राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान सिलिकोसिस नीति–2019 के अन्तर्गत प्रमाणिकरण के आधार पर पीडित श्रमिक को रूपया 3.00 लाख एवं मृतक के आश्रित/विधिक उत्तराधिकारी को रूपया 2.00 लाख संबंधित जिला कलक्टर के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं । वर्तमान सिलिकोसिस/एसबेसटोसिस से पीडित/मृतक विधिक उत्तराधिकारी को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में के जिला कलेक्टरों को डी.एम.एफ.टी. के तहत राशि का आवंटन वित्त विभाग के निर्देशानुसार किया जाता है।

विभागीय कम्प्यूटराईजेशन :

- विभाग में प्रधान एवं अप्रधान से संबंधित समस्त खनिज निर्गमन को ई–रवन्ना के माध्यम से दिनांक 10.10.2017 से ऑनलाईन कर दिया गया है तथा मेनुअल रवन्ना जारी करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। इस क्रम में विभाग द्वारा वे–ब्रिजरहित खनन पट्टाधारियों के खनिज की तुलाई हेतु निजी तुलाधारकों को एम्पेनल किया गया है एवं खनन पट्टाधारियों हेतु ई–रवन्ना जारी करने के लिये मोबाईल एप्प भी उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें वे–ब्रिज रहित खनन पट्टाधारियों द्वारा जरिये मोबाईल अथवा कम्प्यूटर अनकन्फर्म रवन्ना जनरेट की जाती है जिसे एम्पेनल्ड तुलाधारकों द्वारा तुलाई के दौरान अनकन्फर्म रवन्ना के सन्दर्भ में रवन्ना कन्फर्म की जाती है।
- दिनांक 01.11.2018 को समस्त एम्पेनल्ड तुलायंत्रो पर दो कैमरे अनिवार्य कर फोटोयुक्त (वाहन मय खनिज) ई–रवन्ना जनरेट की जा रही है जिससे राजस्व अपवंचन पर प्रभावी अंकुश लगा है।
- दिनांक 31.12.2020 तक सम्पूर्ण राज्य में 3212 तुलायंत्र एम्पेनल्ड किये जा चुके है।
- कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया के तहत दिनांक 01.02.2018 से ई–रवन्ना की तरह ही क्रशर तथा ग्राइंडिंग ईकाइयों को भी विभागीय ऑनलाईन सिस्टम से जोडते हुए ई–ट्रांजिट पास की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। दिनांक 31.12.2020 तक 1 करोड 8 लाख ई–ट्रांजिट पास जारी किये गये है।
- विभाग द्वारा दिनांक 01.08.2018 से खातेदारी भूमि पर खननपट्टा आवेदन को भी ऑनलाईन लिये जाने का प्रावधान किया गया है तथा विभाग द्वारा कृषि भूमि सुधार हेतु जिप्सम परमिट, क्वारी लाईसेन्स, खनिज समावेशन, खनन पटटा हस्तान्तरण, STP/Brick-earth परमिट एवं NERP इत्यादि के आवेदनों को भी ऑनलाईन लिया जा रहा है।

- विभाग में प्रभावशील समस्त खनन पट्टो का ऑनलाईन सिस्टम में इन्द्राज किया जा चुका है। प्रधान एवं अप्रधान खनिज के खनन पट्टाधारियों को विभागीय ऑनलाईन सिस्टम में जोडा गया है एवं ऑनलाईन पेमेन्ट जमा, डिमान्ड रजिस्टर असेसमेंट एवं रवन्ना जनरेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है। खनन पट्टेधारी द्वारा विभिन्न प्रकार के राजस्व को ई–ग्रास के माध्यम से ऑनलाईन जमा करवाये जाते है। वेबसाईट के साथ–साथ राशि रूपये 50,000/– तक राज्य के किसी भी ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से भी जमा करायी जा सकती है।
- विभाग द्वारा दिनांक 15.12.2018 से ऑन लाईन अपील दर्ज करने का प्रावधान किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत **Cause list** एवं **Current Case Status** भी ऑन लाईन प्राप्त किया जा सकता है।
- माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के बजट घोषणा के 2019–20 के क्रम में खान विभाग के सॉफ्टवेयर को परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर से एकीकृत कर दिनांक 01.01.2020 से लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत विभागीय ऑन लाईन सिस्टम के ई–रवन्ना/ई–टी.पी. जनरेशन में वाहन संबंधित समस्त विवरण जैसे खाली गाडी का वजन **(ULW)** इत्यादि सीधे ही परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर से लिया जा रहा है एवं ऑवर लोडिंग परिवहन संबंधित वाहनों की सूचना अविलम्ब जरिये **SMS** /रिपोर्ट परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई जा रही है।
- डी.एम.एफ.टी. के पी.ड़ी. खातों को विभागीय ऑन लाईन सिस्टम से इन्टीग्रेट किया गया है तथा दिनांक 01.01.2020 से विभागीय स्टेक–हॉल्डर्स हेतु डी.एम.एफ.टी. राशि को ऑन लाईन जमा कराये जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- लीज धारकों द्वारा प्रस्तुत करने वाले मासिक/वार्षिक रिर्टन को भी ऑन लाईन किया गया है।

परिशिष्ट 1

तालिका संख्या–1

खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक व्यय की गई राशि का विवरण		
		अंक लाख रूपयो में
बजट मद	**प्रतिबद्व**	**स्कीम**
	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय
2853–अलौह खनन तथा धातु कर्मउद्योग		
02–खानों का विनियमन तथा विकास		
001–निदेशन तथा प्रशासन		
(06)–योजनाओ के अतिरिक्त व्यय		
[01]–खान एवं भूविज्ञान विभाग–प्रधान कार्यालय–प्रतिबद्व	1493.35	
[02]–खान एवं भूविज्ञान विभाग–जिला एवं अधिनस्थ कार्यालय –प्रतिबद्व	6924.73	
(07)–खनिज सघन पूर्वेक्षण,सर्वेक्षण एवं मानचित्रण योजना		
[01]–खान एवं भूविज्ञान विभाग–प्रधान कार्यालय–प्रतिबद्व		86.42
[02]–खान एवं भूविज्ञान विभाग–जिला एवं अधिनस्थ कार्यालय –प्रतिबद्व		1234.91
2853–02–789–02–00 अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना		274.49
2853–02–789–03–[01]		0.00
2853–02–796–04–00–जनजातिय क्षेत्र उपयोाजना		232.72
योग–2853	**8418.08**	**1828.54**
797–(01)–[01] लेखा मद 8229–200–(07)–माईनिंग क्षैत्र में पर्यावरण सुधार		
82–निधि को अन्तरण	0.00	
मद 797–(02)–लेखा मद 8229–200–(09)–खनन क्षैत्रो में पर्यावरण प्रबन्धन निधि		
82–निधि को अन्तरण	0.00	
लघु शीर्ष 797 योग		
2853–02–800–(01)–[02]		0.00
2853–02–800–(01)–[10]		0.00
2853–02–800–(02)–[01]		0.00
लघु शीर्ष 800 योग		
902–घटाइये–(01) लेखा मद 8229–200–(07)–माईनिंग क्षैत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से प्रतिपूर्ति		
83–निधि से अन्तरण		0.00
902–घटाइये–(02) लेखा मद 8229–200–(09)–माईनिंग क्षैत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से प्रतिपूर्ति		
83–निधि से अन्तरण		0.00

मांग संख्या–51		
(03)लेखा मद 8229–200–(07) खनन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबंधन निधि से प्रतिपूर्ति(अनुसूचित जनजाति)		
83–निधि से अन्तरण		0.00
मांग संख्या–30		
(04)लेखा मद 8229–200–(07) खनन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबंधन निधि से प्रतिपूर्ति(जनजाति क्षैत्र)		
83–निधि से अन्तरण		0.00
लघु शीर्ष 2853– 902 योग		0.00
वृहद योग		
2059–लो.नि.कार्य पर	19.16	
3604–198–(01) पंचायतो को रॉ0 के एक प्रति. भुगतान हेतु	0.00	
योग– 2059 व 3604	19.16	0.00
बजट मद	प्रतिबद्व	स्कीम
	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय
मांग संख्याः 19 लोक निर्माण कार्य		
Captial		
4853–01–004–06–90–17		0.00
मांग संख्याः 43 खनिज		
4853–01–004–05–00–17		0.00
4853–01–004–07–01–74		0.00
4853–01–004–07–02–17		0.00
4853–01–004–07–02–18		0.00
4853–01–004–07–03–16		0.00
4853–01–004–07–03–17		0.00
4853–01–004–07–03–63		0.00
4853–01–004–07–04–18		0.00
4853–01–004–07–04–62		0.00
4853–01–800–01–00–48		0.00
मांग संख्या–43 योग–		**0.00**
मांग संख्या–51		
4853–01–789–02–01–74		0.00
4853–01–789–02–02–17		0.00
4853–01–789–02–02–18		0.00
मांग संख्या–51 योग–		**0.00**
मांग संख्या–30		
4853–01–796–03–00–17		**0.00**
4853–01–796–04–01–74		**0.00**
4853–01–796–04–02–17		**0.00**

4853–01–796–04–02–18		**0.00**
मांग संख्या–30 योग–		**0.00**
कुल योगः– 4853		
मांग संख्या–30		
902–घटाईये		
(01)लेखा मद 8229–200–(07)माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से प्रतिपूर्ति (जनजाति क्षेत्र)		
83–निधि से अन्तरण		0.00
मांग संख्या–43		
(02)लेखा मद 8229–200–(07)माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से प्रतिपूर्ति		
83–निधि से अन्तरण		0.00
मांग संख्या–51		
(03)लेखा मद 8229–200–(07)माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से प्रतिपूर्ति (अनुसूचित जाति क्षैत्र)		
83–निधि से अन्तरण		0.00
लघु शीर्ष 4853–902 योग		**0.00**
महायोग लघु शीर्ष 2853 व 4853–902	**8437.24**	**1828.54**

परिशिष्ट 2

तालिका संख्या 2

जिलेवार जिप्सम के परमिट हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण (31.12.2020 तक)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	कमेटी द्वारा अनुशंषा की गई प्रकरणों की संख्या	मंशा पत्र जारी किये गये प्रकरणों की संख्या	जिप्सम परमिट जारी किये गये प्रकरणों की संख्या (31.12. 2020 तक)	निरस्त किये गये प्रकरणों की संख्या	कुल निस्तारित किये गये प्रकरणों की संख्या	शेष प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8(5+6+7)	9
1	बीकानेर	1067	675	71	260	344	675	392
2	हनुमानगढ़	102	102	7	45	50	102	0
3	जैसलमेर	147	113	15	44	54	113	34
4	श्रीगंगानगर	213	209	43	61	105	209	4
5	चुरू	3	3	0	3	0	3	0
6	नागौर	71	60	0	14	56	70	1
7	बाड़मेर	154	154	0	52	102	154	0
8	जालोर	4	3	3	0	1	4	0
9	सोजत	1	1	1	0	0	1	0
10	जोधपुर	3	0	0	0	0	0	3
योग		**1765**	**1320**	**140**	**479**	**712**	**1331**	**434**

परिशिष्ट 3

तालिका संख्या – 3

डी.एम.एफ.टी. की जमा राशि का विवरण (31.12.2020 तक)

क्र.सं.	जिले का नाम	DMFT की कुल जमा राशि	कार्य जिनकी वित्तिय स्वीकृति जारी हो चुकी		वास्तविक व्यय राशि (लाखों में)
			संख्या	राशि (लाखों में)	
1	राजसमंद	100047.74	1590	40471.84	24897.93
2	उदयपुर	43676.13	1502	12085.34	7607.22
3	डुंगरपुर	542.46	28	169.49	169.49
4	बांसवाडा	2629.94	180	1513.52	896.87
5	प्रतापगढ	411.28	4	58.09	35.95
6	कोटा	5706.93	64	1551.88	1324.13
7	बून्दी	2552.82	170	1717.20	1206.11
8	झालावाड	1099.07	38	145.37	366.30
9	बांरा	201.40	15	45.55	18.75
10	बीकानेर	4083.36	2466	1044.55	205.56
11	चुरू	505.01	33	339.33	313.33
12	श्रीगंगानगर	839.27	52	336.80	244.22
13	हनुमानगढ	947.40	38	376.26	366.02
14	जैसलमेर	4423.79	46	108.00	108.00
15	अजमेर	27491.45	1321	17367.66	10999.43
16	नागौर	6255.27	123	3199.79	3111.33
17	भीलवाडा	126389.54	2763	44663.15	233378.13
18	चितौडगढ	32560.90	1433	16442.20	7699.83
19	जयपुर	8034.55	266	1968.39	1589.25
20	सीकर	1232.66	145	830.27	532.02
21	अलवर	2412.65	7	326.85	281.85
22	दौसा	455.39	15	118.33	41.28
23	झुंझुनु	3925.23	110	1659.79	1236.68
24	टोंक	772.43	10	73.03	73.03
25	जोधपुर	4425.99	5	3675.30	3653.50
26	पाली	26694.47	261	10986.00	8303.25
27	सिरोही	14049.72	31	2662.82	2159.93
28	बाडमेर	10155.19	930	4438.45	3164.89
29	जालौर	944.63	1	9.60	7.30

30	भरतपुर	3069.59	1	2270.40	2270.40
31	धोलपुर	792.31	31	950.58	726.58
32	करौली	708.40	15	528.12	528.12
33	सवाईमाधोपुर	389.90	52	151.24	145.66
योग		**438426.87**	**13746**	**172285.19**	**107662.34**

परिशिष्ट 4

तालिका संख्या – 4(अ)

खान एवं भूविज्ञान विभाग में स्वीकृत पदों एवं कार्यरत अधिकारियों की संख्या

(दिनांक 31.12.2020 की स्थिति)

अ. राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा के अधिकारी :

क्र. सं.	पद का नाम	राजस्थान राज्य सेवा की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत अधिकारियों की संख्या			रिक्त पदों की संख्या
				अ.जाति	अ.ज.जाति	सामान्य	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	निदेशक	भारतीय प्रशासनिक सेवा	1	0	0	1	0
2.	अतिरिक्त निदेशक (खान)	राजस्थान तकनिकी सेवा	7	1	1	2	3
3.	अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान)	.... „	6	2	0	4	0
4.	अधीक्षण खनि अभियन्ता	.... „	21	4	2	13	2
5.	अधीक्षण भूवैज्ञानिक	.... „	15	2	0	11	2
6.	अधीक्षण भूभौतिकवेता	.... „	1	0	0	1	0
7.	अ. अभियन्ता (यां. एवं छिद्रण)	.... „	2	0	0	2	0
8.	यांत्रिक अभियन्ता	.... „	1	0	0	0	1
9.	खनि अभियन्ता	.... „	47	5	1	25	16
10.	व. भूवैज्ञानिक (पेट्रोलाजिस्ट व खनिज अर्थशास्त्री सहित)	.... „	26	2	1	11	12
11.	भूभौतिकवेता	.... „	1	0	0	1	0
12.	केमिकल एवं सिरेमिक अभियन्ता	.... „	1	1	0	0	0
13.	वरिष्ठ रसायनज्ञ	.... „	2	2	0	0	0
14.	उप छिद्रण अभियन्ता	.... „	2	1	0	1	0
15.	सहायक खनि अभियन्ता	.... „	70	8	6	39	17
16.	भूवैज्ञानिक	.... „	63	6	6	24	27
17.	रसायनज्ञ	.... „	5	0	0	2	3
18.	कनिष्ठ भूभौतिकवेता	.... „	2	0	0	0	2
19.	सहायक छिद्रण अभियन्ता	.... „	8	1	0	4	3
20.	व0रसायनिक अभियन्ता	.... „	1	0	0	0	1
योग			**282**	**35**	**17**	**141**	**89**

ब. अन्य सेवा के अधिकारी

तालिका संख्या – 4(ब)

क्र.सं.	पद का नाम	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा की श्रेणी	पदों की संख्या	अ.जा.के अधिकारियों की संख्या	अ.ज.जा.के अधिकारियों की संख्या	सामान्य	रिक्त पदों की संख्या
1.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवा, राजपत्रित सेवा	1	0	0	1	0
2.	वित्तीय सलाहकार	राज. लेखा सेवा	1	0	0	1	0
3.	लेखाधिकारी	राज. लेखा सेवा	2	0	0	1	1
4.	सहायक लेखाधिकारी	राज. अधिनस्थ सेवा, लेखा सेवा	5	0	1	2	2
5.	संस्थापन अधिकारी	राजस्थान मंत्रालयिक सेवा, राजपत्रित सेवा	2	0	0	0	2
6.	प्रशासनिक अधिकारी	राजस्थान मंत्रालयिक सेवा, राजपत्रित सेवा	7	0	0	0	7
7.	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	राजस्थान सांख्यिकी सेवा	1	0	0	1	0
8.	उप विधि परामर्शी	विधि संवर्ग	1	0	0	1	0
9.	सहायक विधि परामर्शी	विधि संवर्ग	1	0	0	1	0
10.	वरिष्ठ विधि सहायक	विधि संवर्ग	1	0	0	1	0
11.	एनालिसिस्ट कम प्रोग्रामर	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	1	0	0	0	1
12.	अतिरिक्त निजी सचिव	राजस्थान मंत्रालयिक सेवा	1	0	0	1	0
योग			**24**	0	**1**	**10**	**13**
विभाग के सभी सेवाओं के अधिकारियों की संख्या (अ+ब)			**306**	**35**	**18**	**151**	**102**

तालिका संख्या – 4(स)

स. विभिन्न सेवाओं में स्वीकृत कर्मचारियों की सूचना

(दिनांक 31.12.2020 की स्थिति)

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	सामान्य कर्मचारियों की संख्या	अ.जा. के कर्मचारियों की संख्या	अ.ज.जा. के कर्मचारियों की संख्या
1.	अधीनस्थ तकनीकी सेवा	772	581	112	79
2.	मंत्रालयिक	865	630	134	101
3.	चतुर्थ श्रेणी सेवा	292	215	41	36
4.	राज्य एवं अधिनस्थ सेवा के अधिकारी	306	246	38	22
कुल योग		**2235**	**1672**	**325**	**238**

परिशिष्ट 5

तालिका संख्या – 5

प्रधान खनिजों की सांख्यिकी सूचना (वर्ष 2019–20)

S. No.	Mineral	Lease (No.)	Area (in Hec.)	Dispatch (Lac'Tons)	Sale Value (in Lac. Rs)	Revenue (Lac' Rs.)	Employment (Nos.)
Metallic Minerals							
1	**Copper Ore**	3	710.86	0	0	0	0
2	**Iron ore**	16	2482.12	11.167	43885.043	1083.168	949
3	**Lead Zinc**	7	7089.28	30.214	222223.804	185815.961	28967
4	**Silver**	-	-	-	-	-	-
5	**Manganese**	1	18.89	0.101	502.902	15.087	70
Other Minerals							
6	**Bauxite**	1	123.2	0	0	0	0
7	**Beryl, Emerald Crude**	4	60.62	0	0	0	0
8	**Epidote**	1	4.05	0	0	0	0
9	**Fluorite**	6	988.75	0	0	0	0
10	**Garnet**	16	122.82	0.011	34.340	1.659	33
11	**Kyanite**	2	149.01	0.000	0.000	0.000	0
12	**Lignite**	7	14633.74	81.676	145547.289	7187.520	465
13	**Limestone**	44	23216.88	720.303	201684.927	59785.175	4867
14	**Magnesite**	3	14.75	0.000	0.000	0.000	0
15	**Rock Phosphate**	3	1673.38	9.270	19189.819	4700.115	970
16	**Selenite**	4	998.35	0.022	41.269	4.826	33
17	**Siliceous Earth**	45	376.23	0.254	240.128	22.107	165
18	**Vermiculite**	3	39.63	0.000	0.000	0.000	0
19	**Wollastonite**	13	258.7	1.041	969.832	110.303	192
	Grand Total	**179**	**52961.26**	**854.059**	**634319.353**	**258725.921**	**36711**

परिशिष्ट 6

तालिका संख्या – 6

अप्रधान खनिजों की सांख्यिकी सूचना (वर्ष 2019–20)

S. No.	Mineral	Leases	Area	Dispatch	Revenue	Sale Value	Employment
		(No.)	(in Hectors)	(Lac' Tons)	(in Lac Rs.)	(in Lac Rs.)	(Nos.)
1	Bajri	279	507.84	51.820	1813.635	6062.902	4399
2	BallClay	109	2383.72	36.591	2744.296	25613.430	1200
3	Barytes	1	31	0.074	4.639	95.847	10
4	Bentonite	41	85.68	2.943	426.666	1774.340	305
5	Calcite	22	170.12	0.147	21.644	118.729	193
6	Chert	1	0.72	0.003	0.264	1.931	5
7	China clay	313	2915.72	41.146	2282.370	18186.326	3547
8	Colidal Silica	2	27.35	0.035	2.892	16.512	0
9	Dolomite	11	972.66	4.504	479.920	1932.083	412
10	Felspar, Quartz	2449	12673.55	121.682	7856.466	58042.287	9729
11	Fullers earth	13	58.61	0.216	26.597	82.699	58
12	Granite	1282	2853.54	58.528	13724.334	130458.058	11079
13	Gravel, Murram, Kankar	55	198.15	5.886	822.458	647.412	3079
14	Gypsum	56	9896.2	34.347	4808.635	18478.897	2294
15	Jasper	1	24.5	0.000	0.056	0.203	0
16	Keolin	4	16.06	0.810	45.137	312.846	97
17	Limestone (Burning)	489	9703.41	123.806	14432.999	33180.137	8223
18	Limestone (Dimensional)	371	1950.11	55.232	6135.299	82350.321	6665
19	Marble	1639	3064.51	97.749	17730.183	167835.613	30761
20	MasonaryStone	5824	8658.61	925.876	26090.601	201841.040	56084
21	Mica	4	96.21	0.253	37.955	404.849	0
22	MillStone	3	14.01	0.006	0.684	1.512	35
23	Ochre	148	4352.62	28.787	921.188	7081.633	226
24	Phyllite-Schist, PattiKatla	44	65.16	0.254	37.019	192.812	4317
25	Pyrophyllite	21	269.84	1.024	102.227	530.574	28
26	Quartzite	58	87.34	2.843	239.725	744.968	28
27	SandStone	908	7177.08	28.884	6260.845	17041.419	48048
28	Serpantine	237	302.2	6.820	1782.362	10189.425	1875
29	Silica Sand	117	1983.59	15.236	1206.929	7282.645	822
30	Slatestone	1	2.25	0.013	1.719	16.042	5
31	Soapstone	177	8435.33	17.168	1699.563	24120.749	2394
33	White Clay	8	397.06	2.252	141.020	995.453	50
34	Yellow Sand	3	3	0.024	0.355	2.770	30
	Grand Total	**14691**	**79377.75**	**1664.957**	**111880.682**	**815636.464**	**195998**

रामपुरा अगुचा खान, भीलवाड़ा का विहंगम दृश्य

झामरकोटड़ा रॉक–फॉस्फेट खान का विहंगम दृश्य